

छावनी परिषद, मथुरा

CANTONMENT BOARD, MATHURA

Old Sister Mess Road, Near Regimental Bazar, Mathura Cantt-281001 (U.P.)

पत्रांक/Letter No छा.प.म/आर.टी.आई-05/542/54

दिनांक/Date. 24 अप्रैल, 2017

प्रेष्य,

श्री अनिल अग्रवाल
493 आढत मौहल्ला,
सदर बाजार, मथुरा।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना माँगने के सम्बन्ध में।

यह आपके आवेदन दिनांक 27.03.2017 सूचना की माँग के अनुरोध के प्रसंग में है।

2. आपके उपरोक्त सन्दर्भित आवेदन में माँगी गयी सूचना निम्न प्रकार है:-

बिन्दु सं0 01 – छावनी परिषद मथुरा में भवनो से निम्न कर लिये जाते है:-
गृह कर, सफाई कर, व जलकर

बिन्दु सं0 02,03 व 04— छावनी परिषद मथुरा में रिहायशी एवं व्यवसायिक भवनों के लिये कर की दर अलग नहीं है। यद्यपि रिहायशी एवं व्यवसायिक भवनों की ARV (वार्षिक किराया मूल्यांकन) की गणना भिन्न दरों से की जाती है जोकि त्रैवार्षिक कर निर्धारण के दौरान निर्धारित की जाती है। छावनी परिषद मथुरा में रिहायशी एवं व्यवसायिक भवनों पर कर की दर निम्न प्रकार है :-


नोटिफाइड सिविल एरिया – गृहकर 5%, सफाई कर 12.5% व जलकर 12%

आउट साइट नोटिफाइड सिविल एरिया – गृहकर 7.5% व सफाई कर 12.5%

बिन्दु सं0 05 व 06 भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार छावनी परिषद मथुरा में सभी भवनों से सफाई कर लिया जा रहा है।

बिन्दु सं0 07 – मोती कुँज, रेलवे कालौनी का क्षेत्र पूर्व से ही (सन् 1932) छावनी परिषद मथुरा की सीमा के अन्तर्गत है।

3 उपरोक्त सन्दर्भ में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपील, यदि कोई है, इसकी प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय के अपीलीय अधिकारी श्री कौशल गौतम, मुख्य अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।


देवेन्द्र सिंह
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
छावनी परिषद, मथुरा।